

कार्यालय— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची— 2

पत्रांक—

दिनांक—

प्रेषक,

जे०बी० जौहर, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची— 2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषय:—

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक "लाह विकास योजना" (अन्य क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत **60.838 लाख (साठ लाख, तिरासी हजार, आठ सौ.)** रू० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2008-09 में किये जाने वाले कार्य हेतु कुल **50.059 लाख (पचास लाख, पाँच हजार, नौ सौ)** रू० की योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

सूचित करना है कि लाह विकास योजना (अन्य क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विषयाधीन

योजनान्तर्गत:—

1.

वित्तीय वर्ष 2008-09 में **44.18** हे० में वनरोपण (अग्रिम कार्य) किये जाने का प्रस्ताव है ।

यह योजना लाह विकास योजना के लिए निर्धारित दर पर की जायेगी। **कार्य दर अनुलंगनक 2 पर द्रष्टव्य है।**

इस योजना को 4 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किये जाते हैं जिसमें पौधाला में पौधा तैयार करना, वन रोपण क्षेत्र का घेरान कार्य, सर्वे एवं सीमांकन, झाड़ी सफाई, भू-संरक्षण एवं पौधा रोपण हेतु गड्ढे खोदना, कंटूर ट्रेंच बनाना, भू-संरक्षण के अन्य कार्य, इन्ट्री प्वाइंट एवं विविध कार्य किये जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पौधाला में पौधों की सिंचाई, वनरोपण स्थल पर पौधा रोपण, इन्ट्री प्वाइंट, सामग्री, सुरक्षा पर व्यय ट्रेंचों के वर्म पर बीज की रोपणी, दो कोड़नी निकोनी करना तथा विविध कार्य किये जाते हैं। तीसरे वर्ष में एक कोड़नी निकोनी, उर्वरक, गड्ढा घेरान की मरम्मत, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना और सुरक्षा प्रदान करना आदि कार्य किये जाते हैं। चतुर्थ वर्ष में सम्पोषण कार्य के अंतर्गत एक कोड़नी निकोनी एवं सुरक्षा किया जाता है। इस प्रकार चार वर्षों की यह पूर्ण योजना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में **44.18** हे० में अग्रिम कार्य किया जायेगा। **चार वर्षों की पूर्ण कार्य विवरणी एवं वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा स्थल विवरणी अनुलंगनक 1 क एवं ख पर द्रष्टव्य है।**

2.

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विषयाधीन योजनान्तर्गत महत्वपूर्ण लाह उत्पादक जिलों में बीहन लाह (रंगीनी) का मुफ्त वितरण कार्य का प्रस्ताव है इससे संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

योजना का उद्देश्य: राज्य में लाह उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीणों को बीहन लाह उपलब्ध कराना इस योजना का मूल उद्देश्य है । ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों से अनुकूल मौसम नहीं होने अथवा बाजार से संबद्ध अन्य कारकों के आलोक में ग्रामीणों को समय पर बीहन लाह उपलब्ध नहीं हो पाता है । फलस्वरूप राज्य में लाह का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है । साथ ही छोटे लाह-कृषक बीहन लाह की अनुपलब्धता अथवा काफी ऊँचे मूल्य

पर बीहन लाह की कम मात्रा में उपलब्धता के कारण लाह की खेती कर पाने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं । उल्लेखनीय है कि लाह की खेती में सरकार के स्तर से प्रोत्साहन प्रदान करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ – साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे ।

योजना की संक्षिप्त विवरणी : इस योजना के तहत महत्वपूर्ण लाह उत्पादक जिलों में बीहन लाह (रंगीनी) का मुफ्त वितरण दो तरीके से किए जाएँगे :-

- (i) बीहन लाह की बिक्री / खरीद वाले हाट एवं संबंधित गाँव के सर्वेक्षण के आधार पर ।
- (ii) प्रगतिशील लाह कृषकों, जिनसे बीहन लाह की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, तथा अन्य लाह पोषक वृक्षों के धारक कृषक, जिन्हें लाह उत्पादन के लिए बीहन लाह उपलब्ध करने के आधार पर अग्रसर किया जा सके, के सर्वेक्षण के आधार पर ।

उक्त प्रगतिशील एवं अन्य लाह कृषकों के पहचान तथा बीहन लाह की खरीद / बिक्री वाले हाटों की पहचान हेतु योजना के तहत चयनित जिलों यथा पलामू, बोकारो, धनबाद, एवं गिरीडीह में प्रति वन परिसर दो व्यक्तियों का चयन किया जाना है । चयनित व्यक्ति कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए तथा उनका मनोनयन संबंधित ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति द्वारा होना चाहिए । साथ ही उक्त व्यक्ति को लाह की खेती की जानकारी होना अपेक्षित है तथा वह लाह की खेती करने वाले गाँव का होना चाहिए । सभी चयनित व्यक्तियों को मानदेय के तौर पर 6000 रु० प्रति व्यक्ति एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है ।

सर्वेक्षण कार्यों के लिए चयनित व्यक्तियों को एक दिन का प्रशिक्षण / **orientation** डोरंडा वन परिसर स्थित सामुदायिक भवन में दिया जाएगा । उक्त प्रशिक्षण के उपरांत करीब एक महीने की अवधि के अंदर निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त डाटा के साथ ग्रामिणों की एक बैठक पुनः सामुदायिक भवन, डोरंडा वन परिसर में आयोजित की जाएगी । इस प्रशिक्षण हेतु आने जाने (दोनों बार) तथा अन्य व्यय प्रशिक्षु अपने मानदेय की राशि से खुद करेंगे ।

सर्वेक्षण के उपरांत चिह्नित लाह कृषकों से बीहन लाह का क्रय तथा उनके समीपवर्ती लाह कृषकों को निःशुल्क वितरण (प्रति कृषक, अधिकतम 3 कि. ग्रा.) संबंधित वनपाल द्वारा किया जाएगा । बीहन लाह के क्रय, तत्संबंधी भुगतान तथा वितरण संबंधी सूची संबंधित वन समिति के कार्यकारिणी के 2/3 सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

बीहन लाह के क्रय / वितरण हेतु प्रमण्डलवार निर्धारित लक्ष्य का आधा भाग ग्रामीणों से उनके ग्राम में ही क्रय किया जाएगा तथा इसका वितरण समीपवर्ती लाह कृषकों के बीच किया जाएगा । शेष आधा भाग स्थानीय हाट में व्यापारियों / ग्रामिणों से क्रय किया जाएगा तथा इसका वितरण हाट में ही लाह कृषकों (प्रति कृषक, अधिकतम 3 कि. ग्रा.) के बीच किया जाएगा । इस कार्य हेतु स्थानीय हाटों में क्रय एवं वितरण केन्द्र स्थापित किए जाएँगे । क्रय एवं वितरण संबंधी समय की जानकारी ग्रामीणों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित की जाएगी । प्रत्येक हाट पर बीहन लाह की प्राप्ति के मौसम में विभाग के द्वारा अधिकारी / कर्मचारी का गुप प्रतिनियुक्ति होगा, जो लाह की खरीद, वितरण तथा राशि के भुगतान को सत्यापित करेगा । बीहन लाह की खरीद, राशि का भुगतान तथा बीहन लाह के वितरण की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी । **पूर्ण कार्य विवरणी एवं वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा स्थल विवरणी अनुलग्नक 1 क एवं ख पर द्रष्टव्य है।** वित्तीय वर्ष 2008-09 में विषयाधीन योजनान्तर्गत निम्नांकित प्रस्ताव है :-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)				अभ्युक्ति
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल	
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी हजारीबा वनरोपण प्र०	44.180 हे० में अग्रिम कार्य	7.336	0.737	0.000	8.073	
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी डाल्टेनगंज उत्तरी वन प्र०	(क)प्रगतिशील तथा अन्य लाह कृषकों एवं हाटों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कार्य (ख) प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय, (ग) प्रचार एवं प्रसार एवं हाट पर क्रय, वितरण तथा भुगतान की वीडियो रिकॉर्डिंग (घ) रंगीनी बीहन लाह का क्रय 15,900 कि.ग्रा. (ङ)परिवहन / वितरण / अनुश्रवण इत्यादि पर व्यय /5 रु० प्रति कि.ग्रा.	2.915	12.920	0.160	15.995	प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु०- 1 पर दृष्टव्य है।
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी बोकारो वन प्रमण्डल	(क)प्रगतिशील तथा अन्य लाह कृषकों एवं हाटों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कार्य (ख) प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय, (ग) प्रचार एवं प्रसार एवं हाट पर क्रय, वितरण तथा भुगतान की वीडियो रिकॉर्डिंग (घ) रंगीनी बीहन लाह का क्रय 2810 कि.ग्रा. (ङ)परिवहन / वितरण / अनुश्रवण इत्यादि पर व्यय /5 रु० प्रति कि.ग्रा.	2.380	2.448	0.170	4.998	
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी धनबाद वन प्रमण्डल	(क)प्रगतिशील तथा अन्य लाह कृषकों एवं हाटों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कार्य (ख) प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय, (ग) प्रचार एवं प्रसार एवं हाट पर क्रय, वितरण तथा भुगतान की वीडियो रिकॉर्डिंग (घ) रंगीनी बीहन लाह का क्रय 17120 कि.ग्रा. (ङ)परिवहन / वितरण / अनुश्रवण इत्यादि पर व्यय /5 रु० प्रति कि.ग्रा.	2.017	13.896	0.080	15.993	
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी गिरीडीह वन प्रमण्डल	(क)प्रगतिशील तथा अन्य लाह कृषकों एवं हाटों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कार्य (ख) प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय, (ग) प्रचार एवं प्रसार एवं हाट पर क्रय, वितरण तथा भुगतान की वीडियो रिकॉर्डिंग (घ) रंगीनी बीहन लाह का क्रय 2200 कि.ग्रा. (ङ)परिवहन / वितरण / अनुश्रवण इत्यादि पर व्यय /5 रु० प्रति कि.ग्रा.	2.830	1.960	0.210	5.000	
योग:-			17.478	31.961	0.620	50.059	

3. वित्तीय वर्ष 2008-09 में मंत्रीमंडल द्वारा पारित कार्य योजना को ही प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्य दर वर्तमान में मजदूरी दर 90.00 रु० सरकार के द्वारा स्वीकृत है, तदनुसार मजदूरी के लिए राशि की गणना 90.00 रु० प्रति मानव दिवस पर की गयी है।

5. प्रस्तावित कार्यों का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु० 1 पर उपलब्ध है।

6. वर्ष 2008-09 में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, समूह शीर्ष- अन्य क्षेत्रिय उपयोजना, लघु शीर्ष- 105 वन उत्पाद, उप शीर्ष- 01 लाह विकास योजना अन्तर्गत निम्न बजट उपबन्ध स्वीकृत है—(वजट पु०पु०सं०-138)

1	विस्तृत शीर्ष- 01-वेतन एवं भत्ते 03 मजदूरी	रु०	74.722	लाख
2	विस्तृत शीर्ष- 03-प्रसासनिक व्यय 17 मशीनरी एवं उपकरण	रु०	1.800	लाख
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	रु०	43.918	लाख
4	35 प्रशिक्षण व्यय	रु०	1.800	लाख
	कुल	रु०	122.240	लाख

7. प्रस्तावित कार्यों के लिए पूर्व में समर्पित 64.074 लाख रू० की योजना के अतिरिक्त प्रस्तावित राशि निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी –

1	मजदूरी	–	रू०	17.478	लाख
2	आपूर्ति एवं सामग्री	–	रू०	31.961	लाख
3	प्रशिक्षण व्यय	–	रू०	0.620	
	योग	–	रू०	50.059	लाख

8. इस योजना के समर्पण के उपरांत बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्राथमिक इकाईवार निम्नलिखित है :-

प्राथमिक इकाईयां	बजट उपबंध	पूर्व में समर्पित योजना प्राथमिक इकाईवार	वर्तमान में समर्पित की जा रही योजना प्राथमिक इकाईवार	इस प्रकार अबतक समर्पित की गई योजना	(रू० लाख में)
					बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्राथमिक इकाईवार
मजदूरी	74.722	56.561	17.478	74.039	0.683
मशीन एवं उपकरण	1.800	0.000	0.000	0.000	1.800
आपूर्ति एवं सामग्री	43.918	7.513	31.961	39.474	4.444
प्रशिक्षण व्यय	1.800	0.000	0.620	0.620	1.180
कुल :-	122.240	64.074	50.059	114.133	8.107

अनुरोध है कि प्रस्तावित वनरोपण कार्यों से संबंधित प्रशासनीक स्वीकृति एवं इस वर्ष किये जाने वाले अग्रिम कार्य तथा बीहन लाह (रंगीनी) से संबंधित कार्य का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी,

अनु०यथोक्त ।

ह० / –

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची- 2

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/मुख्य वन संरक्षक विकास (अन्य क्षेत्र) तथा उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण मूल्यांकन प्रकोष्ठ, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची- 2